उपायुक्त–सह– जिला दण्डाधिकारी, का कार्यालय, गुमला।
(पंचायत शाखा)

ज्ञापांक V-17/2021....................../ग्रा0पं0 गुमला दिनांक ..../.........../2021

प्रेषक,

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
गुमला।

सेवा में,

जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी,
गुमला।

विषय :– त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन 2021 के निमित निविदा प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन 2021 के निमित सामाग्री की आपूर्ति हेतु निविदा का प्रकाशन www.gumla.nic.in पर दिनांक 11.10.2021 को किया गया है, जिसे डाउनलोड कर देखा जा सकता है।

अनुरोध है, कि उक्त आशय की सूचना स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 12.10.2021 से दिनांक 13.10.2021 तक करना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

ह0/

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
गुमला।

ज्ञापांक V-17/2021....514..../ग्रा0पं0 गुमला दिनांक ....10.../...10.../2021

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्ता–सह–वेब मैनेजर गुमला को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है, कि पत्र के साथ संलग्न सामाग्री आपूर्ति हेतु अल्पकालिन निविदा को www.gumla.nic.in पर प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

09/10/21

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
गुमला।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)–सह–उपायुक्त का कार्यालय, गुमला
(पंचायत शाखा)
त्रिस्तरीय पंचायत(आम) निर्वाचन–2021 हेतु अल्पकालीन निविदा

अल्पकालीन निविदा सं०-V-17/21-512/ग्रा०पं०   दिनांक-10-10-2021

त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन–2021 के निमित गुमला जिलान्तर्गत मतदान/कार्यालय उपयोगी सामग्रियों के लिए इच्छुक प्रतिष्ठानों, दुकानदारों, आपूर्तिकर्ताओं से मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है।

इच्छुक निविदादाता दिनांक 25-10-21 **को अपराह्न 3.00 बजे तक** जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गुमला के कार्यालय में निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर मुहरबंद निविदा दे सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त निविदायें स्वीकार नहीं की जाएगी। प्राप्त मुहरबंद निविदायें दुसरे दिन अर्थात **दिनांक 26-10-21 को अपराह्न 11.00 बजे** अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी।निविदा खोलने के समय निविदाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। सामग्रियों की विवरणी एवं शर्ते निम्नवत हैः–

निविदा की शर्ते :–

1. सभी निविदायें द्विलिफाफा प्रणाली (Double Envelops system) के अनुसार डाली जायेगी।
2. निविदादाता एव लिफाफे पर साफ–साफ शब्दों में "**तकनीकी बीड**" लिखकर उसमें निविदा के साथ मांगे गये सारे कागजात और प्रमाण–पत्र (अद्यतन राशि का ड्राफ्ट सहित) डालेंगे एवं उसे मुहरबंद करेंगे तथा उसमें अपना नाम एवं पता साफ–साफ लिखेंगे।
3. दूसरे लिफाफा पर साफ–साफ शब्दों में "**वित्तीय बीड**" अंकित करेंगे। उस लिफाफे में प्रत्येक सामग्रियों का अलग–अलग दर अंकित कर मुहरबन्द करेंगे।
4. उस लिफाफे में दर के अलावे कोई अन्य कागजात नहीं डाला जायेगा। लिफाफे पर अपना नाम एवं पता साफ–साफ अंकित करेंगे।
5. तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड दोनों मुहरबंद लिफाफे को एक साथ एक तीसरे लिफाफे में डालकर उस लिफाफे को मुहरबंद करेंगे। लिफाफे के उपर में साफ–साफ लिखेंगे "**त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन, 2021 के लिये सामग्रियों हेतु निविदा**" । उस लिफाफे में अपना नाम एवं दूरभाष संख्या अंकित करेंगे तथा उपायुक्त, गुमला के पदनाम से मुहरबंद लिफाफा स्पीड पोस्ट या निबंधित डाक से भेजेंगे अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कार्यालय अवधि में जमा करेंगे।

9 निविदादाता का तकनीकी बीड वाले लिफाफे में बिक्री कर/सेवाकर के निबंधन, अद्यतन स्वच्छता प्रमाण–पत्र, आवासीय प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित प्रति, आयकर रिटर्न की विगत तीन वर्षो का प्रतियॉ तथा पूर्व में कार्य किये हों तो उसका का अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा। अन्य शर्त पूर्ण करने पर अनुभव वाले फर्म को प्राथमिकता दी जा सकती है।

10 निविदादाता तकनीकी बीड के साथ अग्रधन के रुप में लेखन सामग्रियों/अन्य मतदान सामग्रियों के मामले में **20,000.00 (बीस हजार) रूपये** का बैंक ड्राफ्ट जो उपायुक्त, गुमला के पदनाम से भुगतेय होगा, देंगे। जिस निविदा के साथ बैंक ड्राफ्ट नहीं होगा उस पर विचार नहीं किया जायेगा।

11 निविदादाता को काली सूची में नहीं डाला गया है, इसका शपथ–पत्र देना होगा।

12 पहले तकनीकी बीड खोली जाएगी और निविदादाताओं की उपस्थिति में ही उनका तकनीकी मूल्याकंन किया जायेगा। जिन निविदादाताओं को तकनीकी रूप से योग्य पाया जाएगा, उन्हीं का वित्तीय बीड खोला जायेगा।

13 लेखन सामग्रियों/अन्य मतदान सामग्रियों के संबंध में निविदा के साथ मानक स्तर का नमूना संलग्न करना अनिवार्य होगा।

14 जिनका दर न्यूनतम होगा उन्हें कार्यादेश निर्गत किया जाएगा। एक से अधिक निविदादाताओं का दर न्यूनतम होने पर उनके बीच समानुपातिक रूप से कार्य का वितरण किया जा सकता है। कार्यादेश मिलने के बाद लेखन सामग्रियों/अन्य सामग्रियों के मामले में एक सप्ताह के अंदर (नमूना के अनुरूप) सामग्रियों की आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी। सामग्रियों की आपूर्ति स्वयं जिला मुख्यालय पहुँचाकर करना होगा जिसके लिए अलग से कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा।

15 निविदादाता को सामग्रियों की आपूर्ति हेतु कोई अग्रिम राशि नहीं दी जाएगी, किन्तु कार्य समाप्त होने और गुणवत्तायुक्त मानक स्तर का कार्य पाये जाने पर आवंटन की पर्याप्त उपलब्धता पर निविदादाता को तुरंत सम्पूर्ण राशि का भुगतान किया जाएगा। सामग्रियों की आपूर्ति समय पर नहीं करने अथवा निम्न स्तर का सामग्री आपूर्ति करने पर सम्पूर्ण राशि का भुगतान रोकने या समानुपातिक कटौती करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

16 जिन निविदादाताओं की निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी उनका अग्रधन के रूप में जमा ड्राफ्ट अविलम्ब वापस कर दिया जायेगा।

17 निविदा दर सभी कर सहित होना चाहिए।

18 निविदा में स्वीकृत दर के अनुरुप आपूर्ति किये गये सामग्री/किये गये कार्य पर वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 814/वि0 दिनांक 5.3.2014 के आलोक में लागु श्रोत पर कर /आयकर की कटौती करते हुए विपत्र भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।

19 यदि राज्य स्तर/आयुक्त दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, निर्धारित होता है तो जो दर न्यूनतम होगा उस दर पर भुगतान किया जायेगा।

20 निर्वाचन कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों की सूची जिला पंचायत राज कार्यालय, गुमला से कार्यालय अवधि में अथवा जिला के वेबसाईट **http://gumla.nic.in** से **Download** कर प्राप्त किया जा सकता है।

21 निविदा अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम दर पर एक या एक से अधिक निविदादाता के बीच कार्यादेश निर्गत करने एवं निविदा को पूर्णतः अंशतः स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)
–सह– उपायुक्त, गुमला

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, गुमला।

(पंचायत शाखा)

त्रिस्तरीय पंचायत(आम) निर्वाचन–2021 हेतु अल्पकालीन निविदा

अल्पकालीन निविदा सं० V-17/21-513/आ०पं० दिनांक- 10-10-2021

आगामी त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन–2021 के निमित निर्वाचन सामग्रियों के निमित गुमला जिलान्तर्गत प्रति मतदान केन्द्र सामग्रियों के लिए इच्छुक आपूर्तिकर्ताओ से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्राप्त करने की तिथि– 25.10.2021 को समय 3.00 बजे अपराह्न तक।

निविदा खोलने की तिथि – 26.10.2021 को 3.00 बजे अपराह्न तक।

स्तर पर सामग्रियों की निविदा के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड के पत्रांक 03 नि0/पं0–02/2021 रा0नि0आ0–1054 दिनांक–04.10.2021 के आलोक में निम्न सामग्रियों की व्यवस्था करना है :–

जिला स्तर पर व्यवस्था की जानेवाली सामग्रियों की सूची (प्रति मतदान केन्द्र)

क्र0 सं0	सामग्रियों का ब्यौरा	संख्या/मात्रा
1	मतपेटिका (2 बड़ा या 1 बड़ा एवं 2 मध्यम तथा अतिरिक्त और आवश्यकतानुसार 1 छोटा आकार का	2/3
2	प्रभेदक रबर की मुहर	1
3	स्याहीयुक्त स्टाम पैड	3
4	मेटल सील (चारों पदो के निर्वाची पदाधिकारी के लिए)	
5	मेटल सील (पीठासीन पदाधिकारी के लिए)	1
6	धातु की पट्टी (मतपत्र को प्रतिपर्ण से अलग करने के लिए)	4
7	क्रॉस रबर की मुहर (मत देने के लिए)	4
8	मतदाता सूची की कार्यकारी प्रति	5
9	सादा कागज	10 शीट
10	कार्बन	2 शीट
11	डॉट पेन	1
12	सीलिंग वैक्स	5
13	मतपेटिका को रखने के लिए कपड़े का थैला(मतपेटिका के आकार के अनुसार)	3
14	वोटिंग कम्पार्टमेंट	2
15	सुतली	50 ग्राम
16	बॉल थ्रेड	1 बंडल (छोटा)
17	दियासलाई	1
18	ब्लेड	1
19	लचकदार तार	1 मीटर
20	मोमबत्ती	1
21	अमिट स्याही रखने के लिए डिब्बा	1
22	निर्वाचकों के अंगूठे से स्याही का निशान मिटाने के लिए रद्दी कपड़ा	1/4 मीटर
23	आलपीन	1 पैकेट (छोटा)

24	गोंद का बोतल	1 (छोटा)
25	कार्डबोर्ड	4
26	सादा लिफाफा	(छोटा–15, बड़ा–10)
27	पैकिंग पेपर	3 शीट
28	मतपेटिका बाँधने के लिए सफेद सूता बाला रीबन	8 मीटर
29	पीठासीन पदाधिकारी का डायरी (प्रपत्र–36) जो क्रमांकित हो	2
30	निर्वाचन लड़नेवालों की सूची (प्रपत्र–9)	2
31	मतपत्र लेखा (प्रपत्र–17क)	4
32	पेपरसील लेखा (प्रपत्र–18)	4
33	निविदत्त मतों की सूची (प्रपत्र–16)	4
34	अंधे/विकलांग/शिथिलांग मतदाताओं की सूची (प्रपत्र–15)	25
35	अभ्याक्षेपित मतों की सूची (प्रपत्र–14)	1
36	अभ्याक्षेपित से संबंधित जब्त राशि के लिए रसीद बही	1
37	मतदान प्रारम्भ होने के समय घोषणा (प्रपत्र–31)	2
38	मतदान समाप्ति के समय घोषणा (प्रपत्र–32)	2
39	वयवहृत होनेवाले मतपेटिकाओं पर चिपकाने के लिए लेबल(प्रपत्र–38)	4 से 5
40	मतदान के दौरान पीठासीन पदाधिकारी द्वारा भेजा जानेवाला शिकायत पत्र (प्रपत्र–37)	10
41	पुशर	2
42	जूट का पुराना बोरा	2

जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)
–सह– उपायुक्त, गुमला।